



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244650
CG-DL-E-24032023-244650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/ चैत्र 3, 1945

No. 1357]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/ CHAITRA 3, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का. आ. 1410(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2002 (अ) तारीख 29.04.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 0/000 से कि.मी.41/369 (उप संभागीय अधिकारी, बारामती) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01.06.2022" को "लोकमत (मराठी)" और "द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 0/000 से कि.मी.41/369 (उप संभागीय अधिकारी, बारामती) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बारामती				
	गांव का नाम: कट्फल				
1	102	निजी	एग्रिकल्चर	0.15	पोपट महादेव सावंत, बालासो नामदेव मेट, भालचंद्र महादेव अडके, यशवदाबाई पोपट अटोले, कान्तिलाल तुकाराम लोखण्डे, अरुण पोपोट अटोले, शिवाजी दगडू मदाने, सुरेखा थकाजी मदाने, गोकुल थकाजी मदाने, संदीप थकाजी मदाने, संतोष गणपत मोर, विकास सूर्यकांत गैलिंडे, शैला सूर्यकांत गैलिंडे, प्रसन्न श्रीपाद थोम्बरे, किरण कान्तिलाल लोखण्डे, हेमलता नितिन खोमने, मोनाली संदीप भंडालकर, दिपाली इन्द्रजित मदाने, धनश्री हरिदास मदाने, हंसराज माणिक खोमने, शिवकांत माणिक खोमने, चागुना महादेव खोमने (102)
			कुल	0.15	

[फा.सं. NHAI/PIU/PNDR/LA/2018/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O.1410(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2002(E) dated 29.04.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965G on the stretch of land from Km 0/000 to Km 41/369 (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat (Marathi” and “The Indian Express (English)” both dated 01.06.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 41.369 section of NH965G (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Baramati				
	Village: Katphal				
1	102	Private	Agriculture	0.15	Popat Mahadev Sawant, Balaso Namdev Mete, Bhalchandra Mahadev Adake, Yashwadabai Popat Atole, Kantilal Tukaram Lokhande, Arun Popot Atole, Shivaji Dagadu Madane, Surekha Thakaji Madane, Gokul Thakaji Madane, Sandip Thakaji Madane, Santosh Ganpat More, Vikas Suryakant Galinde, Shaila Suryakant Galinde, Prasanna Shripad Thombre, Kiran Kantilal Lokhande, Hemlata Nitin Khomne, Monali Sandip Bhandalkar, Dipali Indrajit Madane, Dhanashri Haridas Madane, Hansaraj Manik Khomne, Shivkant Manik Khomne, Chaguna Mahadev Khomne 102
			TOTAL	0.15	

[F.No. NHAI/PIU/PNDR/LA/2018/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.